**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग।**

**द्वितीय स्मार**

पत्र सं0–09 / विविध –07–06 / 2019:– 4909 राँची, दिनांकः– 05/9/19

प्रेषकः– **राजेन्द्र प्रसाद,**
उप सचिव (अभि0)।

सेवा में,

**सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),**
जल संसाधन विभाग।

विषयः– लम्बित ए0सी0 डी0सी0 विपत्र की राशि के समायोजन के संबंध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक–2514 दिनांक–15.05.2019, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2083 / वि0 दिनांक–05.08.2019 तथा विभागीय पत्रांक–4407 दिनांक–14.08.2019 ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि दिनांक–09.05.2019 को प्रधान महालेखाकार, झारखंड, राँची की उपस्थिति में अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, राँची की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राप्त अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त अनुरोध है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक–2514 दिनांक–15.05.2019 द्वारा आपके प्रक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों में लम्बित ए0सी0 डी0सी0 विपत्र की राशि का समायोजन करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन दिनांक–18.05.2019 तक बिना स्मार की प्रतीक्षा किये अविलम्ब रुप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक–4407 दिनांक–14.08.2019 द्वारा सबंधित वांछित प्रतिवेदन निश्चित रुप से विशेष दूत के माध्यम से दिनांक–16.08.2019 तक बिना स्मार की प्रतिक्षा किये अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराने हेतु स्मारित भी किया गया।

उक्त के आलोक में निम्नलिखित मुख्य अभियंता के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया हैः–

1. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।
3. मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची।
4. मुख्य अभियंता, सु0 रे0 परि0 ईचा गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

शेष मुख्य अभियंताओं के द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह अत्यन्त खेदजनक है।

कृपया विषयांकित मामले में पुनः स्मारित करते हुए कहना है कि सबंधित वांछित प्रतिवेदन निश्चित रुप से विशेष दूत के माध्यम से दिनांक–15.09.2019 तक बिना स्मार की प्रतिक्षा किये अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे महत्त्वपूर्ण समझा जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
04/09/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)।

पत्रांक : वित्त–7/वि•नि•–1001/12(खण्ड–I)........2083/ए०

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

**अविनाश कुमार सिंह,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :05/08/19

**विषय : लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महाशया/महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 09.05.2019 को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड की उपस्थिति में एवं अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) की अध्यक्षता में सम्पन्न लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में सभी विभागों को दिनांक 30.06.2019 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की राशि में से 60 प्रतिशत राशि का समायोजन करने एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के लंबित UC को प्रथम चरण में दिनांक 30.06.2019 तक 50 प्रतिशत कम करने का निदेश दिया गया है।

उक्त के अनुपालन में लंबित डी.सी. विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन हेतु आपके विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

01.08.19

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)
संख्या 2389
दिनांक 06.08.19